



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092025-266293
CG-DL-E-22092025-266293

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 612]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2025/भाद्र 28, 1947

No. 612]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025/BHADRA 28, 1947

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2025

सा.का.नि.689(अ).— निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें केंद्र सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा, जिस दिन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001 को संबोधित किया जा सकता है।

उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (माइग्रेशन) नियम, 2025 है।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
- (क) “अधिनियम” से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;
 - (ख) “आवेदक” से ऐसा लाइसेंसधारी अभिप्रेत है जो किसी प्रासंगिक प्राधिकरण में माइग्रेशन के लिए आवेदन कर रहा है;
 - (ग) “प्रासंगिक प्राधिकरण” से इन नियमों की अनुसूची के में विविनिर्दिष्ट प्राधिकरण अभिप्रेत है;
 - (घ) “प्राधिकरण नियम” से दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान या दूरसंचार नेटवर्क की संस्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार के लिए अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के तहत अधिसूचित नियम अभिप्रेत है;
 - (ङ) “प्रासंगिक लाइसेंस” से लाइसेंस, पंजीकरण, या अनुमति, चाहे किसी भी नाम से जात हो, अभिप्रेत है जिन्हें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) या भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) के अधीन इन नियमों की अनुसूची 'क' के अंतर्गत विविनिर्दिष्ट किया गया हो और लाइसेंसधारी शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;
 - (च) “मुख्य दूरसंचार सेवा नियम” से दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 अभिप्रेत है;
 - (छ) “लंबित बकाया” से किसी प्रासंगिक लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों के तहत देय सभी राशियाँ अभिप्रेत हैं, जिसमें लाइसेंस के तहत देय स्व-मूल्यांकन राशियाँ शामिल हैं, चाहे उसके संबंध में कोई मांग उठाई गई हो या नहीं और इसमें लाइसेंस शुल्क बकाया, एसयूसी प्रभार और कोई अन्य बकाया, ब्याज, डिफॉल्ट ब्याज, परिनिधारित नुकसान, दंड, किसी भी न्यायिक आदेश या मध्यस्थता पुरस्कार के अनुसरण में देय कोई भी राशि, विवादित राशि और केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई राशियाँ शामिल हैं, लेकिन किसी भी अदालती आदेश के कारण भुगतान नहीं की गई हैं;
 - (ज) “प्रवर्तक” से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (69) के अंतर्गत दिया गया अर्थ अभिप्रेत है; और
 - (झ) “अनुसूची” से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।
- (2) प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों को जिसे यहां परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम या प्राधिकरण नियमों में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम या प्राधिकरण में दिया गया है।

3. कार्यक्षेत्र और प्रयोज्यता

ये नियम प्रासंगिक लाइसेंस को प्रासंगिक प्राधिकरण में माइग्रेट करने के लिए लागू होंगे।

4. प्रासंगिक प्राधिकरण में माइग्रेशन हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन

- (1) कोई आवेदक जो अपने प्रासंगिक लाइसेंस को अनुसूची के में चिन्हित प्रासंगिक प्राधिकरण में माइग्रेट करना चाहता है, उसे ऐसे प्रासंगिक लाइसेंस की समाप्ति से कम से कम बारह माह पूर्व, रूप और तरीके से, और पोर्टल पर विविनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ ऐसे माइग्रेशन के लिए आवेदन करना होगा, जिसमें निम्नलिखित के संबंध में सूचना शामिल होगी: (क) आवेदक द्वारा धारित सभी लाइसेंसों का विवरण, ऐसे लाइसेंसधारियों में लाभकारी हित रखने वाले व्यक्तियों के विवरण के साथ, और (ख) अन्य लाइसेंसों का विवरण जिसमें आवेदक के प्रवर्तक लाभकारी हित रखते हैं:

बशर्ते कि इन नियमों के लागू होने की तारीख को बारह माह से कम की वैधता अवधि वाले प्रासंगिक लाइसेंस रखने वाले और माइग्रेशन चाहने वाले लाइसेंसधारियों को इन नियमों के लागू होने के नब्बे दिनों के भीतर इन नियमों के तहत माइग्रेशन के लिए आवेदन करना होगा।

बशर्ते कि केंद्र सरकार, उप-नियम (1) के प्रथम परंतुक में विविनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व लाइसेंसधारी से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, ऐसे आवेदन के लिए विस्तारित समय-सीमा की अनुमति दे सकेगी, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि विविनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर ऐसा आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

- (2) प्रासंगिक प्राधिकरण नियमों के तहत प्राधिकरण प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड, ऐसे नियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता को छोड़कर, प्रत्येक आवेदक के संबंध में लागू होंगे।
- (3) उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन के साथ दस हजार रुपए की अप्रतिदेय प्रसंस्करण शुल्क संलग्न होगा।
- (4) एक से अधिक प्रासंगिक लाइसेंस रखने वाले आवेदक को उपनियम (1) के तहत आवेदन करते समय अपने सभी प्रासंगिक लाइसेंसों को प्रासंगिक प्राधिकरण में माइग्रेट करने के लिए आवेदन करना होगा।
- (5) मुख्य दूरसंचार सेवा नियमों के तहत प्रासंगिक प्राधिकरण में माइग्रेशन की मांग करने वाले उप-नियम (1) के तहत आवेदन के संबंध में, माइग्रेशन की अनुमति निम्नानुसार दी जाएगी:

(क) नेटवर्क सेवा ऑपरेटर (एनएसओ) के रूप में प्रासंगिक लाइसेंस रखने वाले आवेदक को एनएसओ के रूप में प्रासंगिक प्राधिकरण के लिए विचार किया जाएगा; और

(ख) वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (वीएनओ) के रूप में प्रासंगिक लाइसेंस रखने वाले आवेदक को वीएनओ के रूप में प्रासंगिक प्राधिकरण के लिए विचार किया जाएगा।

- (6) किसी प्रासंगिक लाइसेंस को किसी प्रासंगिक प्राधिकरण में माइग्रेट करने की अनुमति उसी सेवा क्षेत्र या प्रचालन के उसी क्षेत्र के संबंध में दी जाएगी, जैसा भी मामला हो, सिवाय नीचे दिए गए प्रावधान के:

(क) आईएसपी श्रेणी सी लाइसेंस को विनिर्दिष्ट दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र के लिए इंटरनेट सेवा प्राधिकरण में माइग्रेट करने की अनुमति होगी;

(ख) एक्सेस सेवा श्रेणी ख लाइसेंस को विनिर्दिष्ट दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र के लिए वायरलाइन एक्सेस सेवा प्राधिकरण में माइग्रेट करने की अनुमति होगी; या

(ग) मशीन से मशीन श्रेणी ग लाइसेंस के माइग्रेशन को विनिर्दिष्ट दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र के लिए इंटरनेट सेवा प्राधिकरण में अनुमति होगी।

5. प्रासंगिक प्राधिकरण में माइग्रेशन के लिए अनुमोदन प्रदान करना

- (1) नियम 4 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन की जांच करने पर, केंद्र सरकार आवेदक से स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकती है, जैसा कि अपेक्षित हो।

- (2) जहां केंद्र सरकार किसी आवेदक को किसी प्रासंगिक प्राधिकरण में माइग्रेशन के लिए पात्र मानती है, वहां वह पोर्टल के माध्यम से एक मांग पत्र जारी करेगी जिसमें ऐसे प्रासंगिक प्राधिकरण के लिए लागू प्रवेश शुल्क और आवेदक द्वारा माइग्रेट किए जाने वाले प्रासंगिक लाइसेंसों के लिए पहले से भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क की राशि के बीच अंतर के बराबर राशि विनिर्दिष्ट की जाएगी:

बशर्ते कि आवेदक किसी भी प्रकार की प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा, यदि प्रासंगिक प्राधिकरण के लिए लागू प्रवेश शुल्क, जिसके लिए प्रासंगिक लाइसेंस माइग्रेट किया जा रहा है, ऐसे लाइसेंस के लिए पहले से भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क से कम है।

- (3) यदि मांग पत्र में विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसा आवेदन समाप्त माना जाएगा, और माइग्रेशन के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, मांग पत्र में विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति से पहले आवेदक द्वारा किए गए समय विस्तार के अनुरोध पर विचार करने के आधार पर, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से, मांग पत्र में विनिर्दिष्ट समय से अधिकतम तीस दिनों का विस्तार एक ही बार प्रदान कर सकती है।

- (4) केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आवेदक द्वारा उप-नियम (2) के तहत जारी मांग पत्र में विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करने पर, पोर्टल पर यूनिक प्राधिकरण संख्या जनरेट की जाएगी और आवेदक को प्रासंगिक प्राधिकरण नियमों में विनिर्दिष्ट प्रारूप एवं लागू निबंधनों और शर्तों के अनुसार एक प्रासंगिक प्राधिकरण प्रदान किया जाएगा।

- (5) इन नियमों के अंतर्गत माइग्रेशन के परिणामस्वरूप प्राप्त प्रासंगिक प्राधिकरण की वैधता प्रासंगिक प्राधिकरण नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होगी:

बशर्ते कि, एमएनपी सेवा लाइसेंस से एमएनपी प्रदाता प्राधिकरण में माइग्रेशन पर, जैसा कि अनुसूची क में चिन्हित है, ऐसे प्राधिकरण की वैधता केवल एमएनपी सेवा लाइसेंस की वैधता की शेष अवधि के लिए होगी।

(6) केंद्र सरकार, नियम 4 के उप-नियम (1) के तहत प्राप्त आवेदन पर, यथासम्भव, आवेदक द्वारा उपनियम (1) के तहत अपेक्षित स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के साथ दिन की अवधि के भीतर निर्णय लेने का प्रयास करेगी:

बशर्ते कि आवेदन को अस्वीकार करने के किसी भी निर्णय के साथ लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कारण भी दिए जाएंगे।

(7) जहां उप-नियम (6) के अनुसार आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, या नियम 4 के उप-नियम (1) के तहत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रासंगिक लाइसेंस के माइग्रेशन के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसा लाइसेंस इसकी वैधता अवधि के अंत में समाप्त हो जाएगा, और लाइसेंसधारी अपने सभी प्रयोक्ताओं को, एमएनपी सहित, ऐसे प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों को स्पष्ट रूप से बताते हुए, समय के साथ अपने लाइसेंस की समाप्ति की प्रभावी तिथि के संबंध में कम से कम तीस दिनों का नोटिस जारी करके सूचित करेगा और समाप्ति की प्रभावी तिथि तक दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।

(8) माइग्रेशन के लिए प्रत्येक आवेदन पर आवेदक द्वारा दिए गए व्यानों, कथनों, अभ्यावेदनों और प्रस्तुतियों तथा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए सहायक दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

(9) जहां आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी गलत पाई जाती है, वहां यदि ऐसे आवेदन के आधार पर प्राधिकरण प्रदान किया जाता है, तो दूरसंचार (न्यायनिर्णय और अपील) नियम, 2025 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

6. सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान

(1) नियम 4 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन के अनुसरण में माइग्रेशन के लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगा:

(क) जहां किसी आवेदक के पास संबंधित लाइसेंस के तहत भुगतान के लिए कोई देय राशि लंबित है, जिसके संबंध में केंद्र सरकार ने संबंधित आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से बारह महीने पहले भुगतान की मांग की है, उसके आवेदन का अनुमोदन संबंधित लाइसेंस के निवंधन और शर्तों के तहत लंबित भुगतान के लिए निर्धारित दर के आधार पर लागू व्याज की गणना के साथ सभी ऐसे देय राशि के भुगतान पर निर्भर होगा, सिवाय इसके कि जहां ऐसे देय राशि के भुगतान पर रोक लगाने वाला न्यायालय का आदेश हो;

(ख) आवेदक को ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने से पहले निम्नलिखित का भुगतान सुनिश्चित करना होगा:

(i) पिछली तिमाही तक स्व-मूल्यांकन के आधार पर सभी लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, और

(ii) संबंधित एनआईए के अंतर्गत लागू भुगतान अनुसूची के अनुसार सभी स्पेक्ट्रम नीलामी देयताएं; और

(ग) जहाँ लंबित देयताओं के भुगतान पर रोक लगाने वाला न्यायिक आदेश हो, वहाँ लाइसेंसधारक लंबित न्यायालयी कार्यवाही के अध्यधीन, ऐसी लंबित देय राशि का भुगतान उस पर पूरे व्याज सहित करने का वचनबंध प्रस्तुत करेगा।

(2) आवेदक को उप-नियम (1) के खंड (ख) के अंतर्गत अपेक्षित वचनबद्धता के अतिरिक्त, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में वचनबद्धता भी प्रदान करनी होगी कि वह सभी देयताओं का भुगतान करेगा और ऐसी सभी देनदारियों को स्वीकार करेगा जो संबंधित लाइसेंस से उत्पन्न होती हैं तथा जिनके लिए संबंधित प्राधिकरण में माइग्रेशन के बाद मांग की जा सकती है, जिसमें इस नियम के उप-नियम (3) तथा नियम 7 के उप-नियम (1) के अनुसार निर्धारित देयता भी शामिल है।

(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के प्रावधानों के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार किसी भी समय, इस नियम के तहत माइग्रेशन के लिए किसी भी आवेदन की समीक्षा के समय या अनुमोदन के अनुसरण में माइग्रेशन के संपन्न हो जाने के बाद भी, यह पता लगा सकती है कि क्या केन्द्रीय सरकार को देय कोई लंबित देयता है, और लाइसेंसधारक या परिणामी प्राधिकृत इकाई, जैसा भी मामला हो, का दायित्व इस प्रकार निर्धारित देयता का भुगतान करना होगा।

(4) इन नियमों के अंतर्गत माइग्रेशन के लिए प्रदान किया गया कोई भी अनुमोदन इस नियम 6 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों के निरंतर अनुपालन के अध्यधीन होगा।

7. सामान्य शर्तें

(1) माइग्रेशन के बाद, संबंधित प्राधिकरण नियमों के तहत प्रदान किए गए प्राधिकरण के निबंधन और शर्तें लागू होंगी:

बशर्ते कि, रोल आउट दायित्व, और वित्तीय देयताओं सहित कोई अन्य प्रासंगिक दायित्व या देनदारियाँ, माइग्रेशन-पूर्व अवधि में उल्लंघनों का विनिर्धारण और संबंधित लाइसेंस या स्पेक्ट्रम से जुड़े दंड का अधिरोपण, यदि कोई हो, ऐसे माइग्रेशन के बाद भी संबंधित लाइसेंस की शर्तों के तहत लागू रहेंगे।

(2) जहां माइग्रेशन के आवेदन को अनुमोदित किया गया है, वहां रोल-आउट दायित्वों के अनुपालन के एक भाग के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा लाइसेंसधारकों को जारी किए गए संसाधन, कवरेज परीक्षण प्रमाणपत्र, विदेशी नागरिकों के लिए तैनाती हेतु मौजूदा अनुज्ञाएं, और दूरस्थ एक्सेस तथा गेटवे अनुज्ञाओं सहित अन्य अनुज्ञाएं, संबंधित सेवा क्षेत्रों या संचालन के संबंधित क्षेत्र के लिए प्रदत्त प्रासंगिक प्राधिकरणों के तहत पुनः विनिर्दिष्ट मानी जाएंगी, जैसा भी मामला हो, जब तक कि केंद्रीय सरकार किसी विशिष्ट स्थिति या परिस्थिति की समीक्षा की आवश्यकता निर्धारित नहीं करती है:

बशर्ते कि यह उप-नियम (2) मौजूदा दिशानिर्देशों या निर्देशों के अनुरूप लागू होने पर, प्रत्येक संसाधन के लिए प्रभारों या शुल्कों, यदि कोई हो, की वसूली के अध्यधीन लागू होगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, "संसाधन" शब्द का अभिप्राय पहले से आवंटित दूरसंचार पहचानकर्ता, समुनदेशित स्पेक्ट्रम, मंजूरी, अनुज्ञाएं, अनुमोदन और किसी संबंधित लाइसेंस के संबंध में लाइसेंसधारक द्वारा धारित अनुपालन प्रमाणपत्र है।

8. विविध

(1) इन नियमों के अनुसार संबंधित प्राधिकरण में माइग्रेशन पर, सफल आवेदक द्वारा माइग्रेट किए जाने हेतु मांगे गए संबंधित लाइसेंस रद्द कर दिए जाएँगे और उन्हें माइग्रेशन पर प्रदान किए गए संबंधित प्राधिकरण में समाहित माना जाएगा।

बशर्ते कि माइग्रेशन के लिए आवेदन के संबंध में प्राधिकरण की संख्या और प्रकृति का निर्धारण, संबंधित लाइसेंस के दायरे और सेवा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, और यह सुनिश्चित करते हुए कि वह इस प्रकार प्रदान किए गए प्राधिकरण के दायरे में आता है, संबंधित प्राधिकरण नियमों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

बशर्ते यह भी कि, पूर्व लाइसेंस के सन्निवेशन और रद्द होने से:

(क) ऐसे पूर्ववर्ती लाइसेंस के अंतर्गत उपगत किसी भी देयता, शास्ति, देनदारियों या दायित्वों का, जैसा भी मामला हो, कोई परिसमापन या अधित्याग नहीं होगा, और

(ख) ऐसी देयताओं, शास्ति, देनदारियों या दायित्वों को प्राधिकरण में माइग्रेट कर दिया जाएगा और उन्हें प्राधिकरण के अंतर्गत आगे ले जाया गया माना जाएगा, और वे ऐसी इकाई द्वारा देय और केंद्र सरकार द्वारा वसूली योग्य बने रहेंगे।

(2) यदि कोई लाइसेंसधारक, जिसके पास नीलामी के माध्यम से प्राप्त या जिसके लिए बाजार निर्धारित मूल्य चुकाया गया है, एक्सेस स्पेक्ट्रम रखता है, इन नियमों के अंतर्गत संबंधित प्राधिकरण में माइग्रेट होता है, तो ऐसा स्पेक्ट्रम अपनी वैधता तक उन निबंधन और शर्तों पर वैध बना रहेगा जिन पर उसे समनुदेशित किया गया था।

(3) यदि कोई लाइसेंसधारक, जिसके पास वैकहॉल स्पेक्ट्रम सहित प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम है, इन नियमों के अंतर्गत संबंधित प्राधिकरण में माइग्रेट होता है, तो ऐसा स्पेक्ट्रम अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (8) के नियत दिन से पांच वर्ष की अवधि तक या ऐसे स्पेक्ट्रम की समाप्ति की तिथि तक, जो भी पहले हो, वैध बना रहेगा।

(4) लाइसेंसधारक या संबंधित प्राधिकृत इकाई, जैसा भी मामला हो, इन नियमों को प्रभावी करने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का भी अनुपालन करेगी जो इन नियमों से असंगत न हों।

9. इन नियमों का डिजिटल कार्यान्वयन

केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 53 के अनुसरण में, इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिए एक या एक से अधिक पोर्टल अधिसूचित कर सकती है, जिसमें प्रासंगिक प्रपत्रों का प्रकाशन, आवेदन प्रस्तुत करना और इन नियमों के तहत विनिर्दिष्ट प्रासंगिक अनुमोदन प्रदान करना शामिल है।

अनुसूची क: प्रासंगिक लाइसेंस का प्रासंगिक प्राधिकरण में माइग्रेशन

क्र. सं.	प्रासंगिक लाइसेंस	प्रासंगिक प्राधिकरण
1	11 या अधिक दूरसंचार सर्किलों या मेट्रो क्षेत्रों के लिए एकीकृत लाइसेंस या यूएएसएल के अंतर्गत एक्सेस सेवा, जीएमपीसीएस सेवा, वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा, एनएलडी सेवा, आईएलडी सेवा, इंटरनेट सेवा श्रेणी क, एम2एम सेवा श्रेणी क, आईपीएलसी सेवा का पुनर्विक्रय, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ऑडियोटेक्स /वॉइस मेल सेवा*	एकीकृत सेवा
2	एक्सेस सेवा	एक्सेस सेवा
3	एक्सेस सेवा श्रेणी ख लाइसेंस	वायरलाइन एक्सेस सेवा
4	इंटरनेट सेवा, एम2एम सेवा, वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा*	इंटरनेट सेवा
5	जीएमपीसीएस सेवा***	
6	एनएलडी सेवा, आईएलडी सेवा, आईपीएलसी सेवा का पुनर्विक्रय*	लंबी दूरी की सेवा
7	पीएमआरटीएस सेवा	पीएमआरटीएस सेवा
8	ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ऑडियोटेक्स /वॉइस मेल सेवा	एंटरप्राइज संचार सेवा
9	एम2एम सेवा प्रदाता रजिस्ट्रेशन, एम2एम रजिस्ट्रेशन के लिए डब्ल्यूएलएएन/डब्ल्यूपीएएन कनेक्टिविटी प्रदाता*	एम2एम सेवा
10	आईएफएमसी अनुमति	आईएफएमसी सेवा
11	पीएम वाणी पीडीओए रजिस्ट्रेशन, ऐप प्रदाता रजिस्ट्रेशन*	पीएम वाणी सेवा
12	भारत में विदेशी ऑपरेटरों के अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्डों की बिक्री/रेट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र	अंतर्राष्ट्रीय सिम सेवा
13	आईपी-आई रजिस्ट्रेशन	अवसंरचना प्रदाता (आईपी)
14	मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी)	मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी)
15	इंटरनेट सेवा**	इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट प्रदाता (आईएक्सपी)
16	सीएमआरटीएस	सीएमआरटीएस
17	कैप्टिव वीसैट सीयूजी सेवा	कैप्टिव वीसैट सीयूजी सेवा
18	सीएनपीएन	सीएनपीएन

* सारणी की प्रविष्टियाँ 1, 4, 6, 9 और 11 के संबंध में, प्रत्येक ऐसी प्रविष्टि में निर्दिष्ट किसी या सभी दूरसंचार सेवाओं के संबंध में प्रासंगिक लाइसेंसधारी आवेदक, यथानिर्दिष्ट प्रासंगिक प्राधिकरण में माइग्रेशन की मांग कर सकता है।

** प्रविष्टि 15 के संबंध में, माइग्रेशन की मांग उस आवेदक द्वारा की जा सकती है जो अपने इंटरनेट सेवा लाइसेंस का उपयोग केवल इंटरनेट एक्सचेंज प्लाइंट (आईएक्सपी) सेवाएं प्रदान करने के लिए कर रहा है।

*** प्रविष्टि 5 के संबंध में, माइग्रेशन की मांग ऐसे आवेदक द्वारा की जा सकती है जो अपने जीएमपीसीएस सेवा लाइसेंस का उपयोग ऐसी सीमित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए कर रहा है जो इंटरनेट सेवा प्राधिकरण के दायरे के अंतर्गत अधिकृत हैं।

[फा.सं. 24-10/2025-यूबीबी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2025

G.S.R. 689(E).— The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub section (6) of section 3 read with clause (d) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi- 110001;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

1. Short title and commencement

- (1) These rules may be called the Telecommunications (Migration) Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
 - (b) “applicant” means a licensee applying to migrate to a relevant authorisation;
 - (c) “relevant authorisation” means an authorisation specified in Schedule A of these rules;
 - (d) “authorisation rules” means the rules notified under clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Act for provision of telecommunication services or establishment, operation, maintenance or expansion of telecommunication network;
 - (e) “relevant license” means a license, registration, or permission, by whatever name called, granted under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) or the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) as specified under Schedule A of these rules and the word licensee shall be construed accordingly;
 - (f) “main telecommunication service rules” means the Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025;
 - (g) “pending dues” means all amounts payable under the terms and conditions of a relevant license, including self-assessment amounts payable under a license, whether or not any demand has been raised in respect of the same and includes license fee dues, SUC charges and any other dues, interest, default interest, liquidated damages, penalties, any amounts payable pursuant to any

judicial order or arbitration award, disputed amounts, and amounts demanded by the Central Government but not paid on account of any court order;

(h) “promoter” shall have the same meaning as provided under sub-section (69) of section 2 of the Companies Act, 2013; and

(i) “Schedule” means the schedule appended to these rules.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act or the authorisation rules shall have the same meaning assigned to them therein.

3. Scope and Applicability

These rules shall apply for migration of a relevant license to a relevant authorisation.

4. Application for obtaining approval for migration to relevant authorisation

(1) An applicant seeking to migrate its relevant license to a relevant authorisation identified in Schedule A shall apply for such migration at least twelve months prior to the expiry of such relevant license, in the form and manner, and accompanied with such documents as may be specified on the portal, which shall include information with regard to: (a) details of all licenses held by the applicant, along with the details of persons having beneficial interest in such licensees, and (b) details of other licenses in which the promoters of the applicant are holding beneficial interest:

Provided that licensees holding relevant license having a validity period of less than twelve months on the date of coming into force of these rules, and seeking migration, shall apply for migration under these rules within ninety days of coming into force of these rules.

Provided further that the Central Government may, upon receipt of a written request from the licensee prior to the expiry of the period specified in first proviso to sub-rule (1), allow for an extended timeline for such application, if it is satisfied that there was sufficient cause for not making such application within the timeline so specified.

(2) The eligibility criteria for grant of authorisation under the relevant authorisation rules, shall apply in respect of each applicant except in respect of the requirement of minimum net worth as specified in such rules.

(3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with a non-refundable processing fee of ten thousand rupees.

(4) An applicant holding more than one relevant license shall, while making an application under sub-rule (1), apply for migration of all its relevant licenses to the relevant authorisation.

(5) In respect of an application under sub-rule (1) seeking migration to a relevant authorisation under the main telecommunication service rules, migration shall be permitted as follows:

(a) an applicant holding a relevant license as a network service operator (NSO) shall be considered for a relevant authorisation as NSO; and

(b) an applicant holding a relevant license as a virtual network operator (VNO) shall be considered for a relevant authorisation as VNO.

(6) Migration of a relevant license to a relevant authorisation shall be permitted in respect of the same service area or the same area of operation, as the case may be, except as provided below:

(a) migration of an ISP Category C license shall be permitted to an Internet Service authorisation for the specified telecom circle or metro service area;

(b) migration of an Access Service Category B license shall be permitted to a Wireline Access Service authorisation for the specified telecom circle or metro service area; or

(c) migration of a Machine to Machine Category C license shall be permitted to an Internet Service authorisation for the specified telecom circle or metro service area.

5. Grant of approval for migration to relevant authorisation

(1) Upon examination of the application submitted under sub-rule (1) of rule 4, the Central Government may seek clarifications or further documents from the applicant, as it may require.

(2) Where the Central Government determines an applicant to be eligible for migration to a relevant authorisation, it shall issue through the portal a demand letter specifying the amount equivalent to the difference between the entry fee applicable for such relevant authorisation and the sum of the entry fees that have already been paid for the relevant licenses which the applicant seeks to migrate:

Provided that the applicant shall not be entitled to any refund in the event the entry fee applicable for the relevant authorisation to which a relevant license is getting migrated, is lesser than the entry fee already paid for such license.

(3) If the amount specified in the demand letter is not paid within the timeline specified therein, such letter shall be deemed to have lapsed, and the application for migration shall stand rejected:

Provided that the Central Government may, based on consideration of a request for extension of time made by an applicant prior to the expiry of the time specified in the demand letter, in the form and manner as may be specified on the portal, grant a one-time extension not exceeding thirty days from the time specified in the demand letter.

(4) Upon payment of the amount specified in the demand letter issued under sub-rule (2) by the applicant within the timeline specified by the Central Government, a unique authorisation number shall be generated on the portal and a relevant authorisation shall be granted to the applicant in the format specified, and as per the terms and conditions as applicable, in the relevant authorisation rules.

(5) The validity of a relevant authorisation resulting from migration under these rules shall be for the duration as specified in the relevant authorisation rules:

Provided that, upon migration from MNP service license to MNP provider authorisation, as identified in Schedule A, the validity of such authorisation shall be only for the balance period of the validity of MNP service license.

(6) The Central Government shall endeavour, to the extent reasonably practicable, to decide on an application received under sub-rule (1) of rule 4 within a period of sixty days of the applicant providing clarifications or additional documents as may be required under sub-rule (1):

Provided further that any decision rejecting the application shall be accompanied by reasons to be specified in writing.

(7) Where an application has been rejected in terms of sub-rule (6), or no application for migration of a relevant license is received within the timelines specified under sub-rule (1) of rule 4, then such license shall expire, at the end of its validity period, and the licensee shall notify all its users, clearly stating the options available to such users, including that of MNP, by issuing a notice of at least thirty days, as regards the effective date of expiry of its license by efflux of time and ensure quality of telecommunication network and telecommunication service, till the effective date of expiry.

(8) Each application for migration shall be processed on the basis of the statements, averments, representations and submissions made by the applicant and on the basis of the supporting documents provided by the applicant.

(9) Where the information submitted by the applicant is found to be incorrect, the authorisation if granted on the basis of such application, shall be dealt with in accordance with the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025.

6. Payment of all pending dues

(1) The Central Government's approval for migration pursuant to an application received under rule 4, shall be subject to the following additional conditions:

(a) where an applicant has any dues pending for payment under the relevant license, in respect of which the Central Government has raised a demand for payment, twelve months prior to the date of submission of the relevant application, approval of its application shall be contingent upon payment of all such dues, together with applicable interest calculated based on the rate stipulated

for delayed payment under the relevant license terms and conditions, except, where there is an order of the court injuncting the payment of such dues;

(b) the applicant shall ensure payment of the following, prior to the submission of such application:

(i) all license fee and spectrum usage charges on a self-assessment basis till the previous quarter, and

(ii) all spectrum auction dues in accordance with the applicable payment schedule under the relevant NIA.; and

(c) where there is a judicial order injuncting payment of the pending dues, the licensee shall submit an undertaking to make the payment of such pending dues together with all interest thereon, subject to the outcome of the pending court proceedings.

(2) The applicant shall, in addition to the undertaking required to be provided under clause (b) of sub-rule (1), also provide an undertaking, in the form as specified on the portal, that it shall pay all dues and accept all such liabilities that arise out of the relevant license and for which demand may be made subsequent to the migration to the relevant authorisation, including any dues determined pursuant to sub-rule (3) of this rule and sub-rule (1) of rule 7.

(3) In addition to the provisions of sub-rule (1), and sub-rule (2), the Central Government may at any time, including at the time of reviewing any application for migration under this rule or even after the migration has been completed pursuant to an approval, ascertain whether there are any pending dues payable to the Central Government, and the licensee or resulting authorised entity, as the case may be, shall have the obligation to make the payment of such dues so determined.

(4) Any approval for migration provided under these rules shall be subject to continued compliance with the conditions specified under this rule 6.

7. General conditions

(1) Upon migration, the terms and conditions of the authorisation provided under the relevant authorisation rules shall apply:

Provided that, roll out obligations, and any other relevant obligations or liabilities including financial dues, determinations of violations in the pre-migration period and imposition of penalty thereof, if any, associated with the relevant licenses or spectrum, shall remain applicable under the terms of relevant license even after such migration.

(2) Where an application of migration has been approved, the resource, coverage test certificates issued by the Central Government to licensees as a part of compliance of roll-out obligations, extant permissions for deployment for foreign nationals, and other permissions including for remote access and gateways permissions, shall be deemed to be reassigned under the relevant authorisations granted for the relevant service areas or the relevant area of operation, as the case may be, unless the Central Government determines the need for review of any specific situation or circumstance:

Provided that this sub-rule (2) shall be applicable subject to realization of charges or fees, if any, for each resource, as applicable, in conformity with the extant guidelines or instructions.

Explanation: For the purpose of this rule, the term “resource” means the telecommunication identifiers already allocated, spectrum assignments, clearances, permissions, approvals, and certificate of compliance held by a licensee in respect of a relevant license.

8. Miscellaneous

(1) Upon migration to the relevant authorisation pursuant to these rules, the relevant licenses sought to be migrated by the successful applicant shall be cancelled and be deemed to be subsumed within the relevant authorisation that is granted upon migration.

Provided that the grant of the number and nature of authorisation in respect of an application for migration, shall be determined by the Central Government in accordance with the relevant authorisation rules, taking into consideration the scope and service area of the relevant license, and ensuring that the same is covered in the scope of the authorisation so granted.

Provided further that, the subsumption and cancellation of the prior license:

- (a) shall not result in any extinguishment or waiver of any dues, penalties, liabilities or obligations incurred under such earlier license, as the case may be, and
 - (b) such dues, penalties, liabilities or obligations shall stand transferred to and be deemed to be carried forward under the authorisation, and remain payable by such entity and recoverable by the Central Government.
- (2) In case a licensee, holding access spectrum obtained through auction or for which market determined price has been paid, migrates to the relevant authorisation under these rules, such spectrum shall continue to be valid till its validity on the terms and conditions on which it had been assigned.
- (3) In case a licensee, holding administratively assigned spectrum including backhaul spectrum, migrates to a relevant authorisation under these rules, such spectrum shall continue to be valid on the terms and conditions on which it had been assigned, for a period of five years from the appointed day of sub-section (8) of section 4 of the Act, or the date of expiry of such spectrum, whichever is earlier.
- (4) A licensee or a relevant authorised entity, as the case may be, shall also comply with notifications, orders, directions, or guidelines, not inconsistent with these rules, issued by the Central Government for the purpose of giving effect to these rules.

9. Digital implementation of these rules

The Central Government, in furtherance of section 53 of the Act, may notify one or more portals for the digital implementation of these rules, including publication of relevant forms, submission of applications, and grant of relevant approvals specified under these rules.

SCHEDULE A: Migration of a relevant license to a relevant authorisation

S. No.	Relevant License	Relevant Authorisation
1	Access Service under Unified License or UASL for 11 or more telecom circles or metro areas, GMPCS Service, Commercial VSAT CUG Service, NLD Service, ILD Service, Internet Service Category A, M2M Service Category A, Resale of IPLC Service, Audio Conferencing/ Audiotex/ Voice Mail Service*	Unified Service
2	Access Service	Access Service
3	Access Service Category B license	Wireline Access Service
4	Internet Service, M2M Service, Commercial VSAT CUG Service*	Internet Service
5	GMPCS Service***	
6	NLD Service, ILD Service, Resale of IPLC Service*	Long Distance Service
7	PMRTS Service	PMRTS Service
8	Audio Conferencing/ Audiotex/ Voice Mail Service	Enterprise Communication Service
9	M2M Service Provider registration, WLAN/ WPAN connectivity provider for M2M registration*	M2M Service
10	IFMC Permission	IFMC Service

11	PM WANI PDOA Registration, App Provider Registration*	PM WANI Service
12	NoC for sale/ rent of International Roaming SIM Cards of foreign operators in India	International SIM service
13	IP-I registration	Infrastructure Provider (IP)
14	Mobile Number Portability (MNP)	Mobile Number Portability (MNP)
15	Internet Service**	Internet Exchange Point Provider (IXP)
16	CMRTS	CMRTS
17	Captive VSAT CUG Service	Captive VSAT CUG Service
18	CNPN	CNPN

* In respect of entries 1, 4, 6, 9 and 11 of the table, an applicant holding the relevant license in respect of any or all of the telecommunication services specified in each such entry, may seek migration to the relevant authorisation as specified.

** In respect of entry 15, migration may be sought by an applicant who is using its internet service license to provide Internet Exchange Point (IXP) services only.

*** In respect of entry 5, migration may be sought by an applicant who is using its GMPCS service license to provide such limited telecommunication services which are authorised under the scope of Internet services authorisation.

[F No. 24-10/2025-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.